184

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2401–तीन/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 14–12–2006 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 213/अपील/2000–01.

....

1–गोकर्ण प्रसाद पुत्र चन्द्रिका प्रसाद
2–ज्वाला प्रसाद पुत्र चन्द्रिका प्रसाद
3–प्राणेश्वर प्रसाद पुत्र चन्द्रिका प्रसाद
4–शीतलप्रसाद पुत्र दामोदर प्रसाद
5–दीपनारायण पुत्र गणेश प्रसाद
6–रामनारायण पुत्र गणेश प्रसाद
7–शिवनारायण पुत्र गणेश प्रसाद
निवासीगण ग्राम कंचनपुर तहसील
मैहर जिला सतना म0प्र0 ––––आवेदकगण

विरूद्ध

1–ओंकार प्रसाद पुत्र तीरथप्रसाद
2–निर्विका प्रसाद पुत्र तीरथप्रसाद
3–केशवप्रसाद पुत्र तीरथ प्रसाद
4–भगवान प्रसाद पुत्र तीरथ प्रसाद
5–विपिन कुमार पुत्र तीरथ प्रसाद
निवासीगण ग्राम कंचनपुर तहसील
मैहर जिला सतना म0प्र0

––––अनावेदकगण

....

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ए0 के0 अग्रवाल अभिभाषक, अनावेदक 1, 2, 4, 5
श्री डी0 एस0 चौहान अभिभाषक, एवं
श्री रवि सिंह अभिभाषक, अनावेदक कमांक–3

आदेश

(आज दिनांक 30/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण ओंकार आदि द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 170/110 के तहत वादग्रस्त आराजियातों का खाता प्रथक करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जहां पर दिनांक 19.4.99 को आदेश पारित किया गया। आवेदक कमांक–3 प्राणेश्वर प्रसाद द्वारा संहिता की धारा 32/51 के तहत एक आवेदन पत्र दिया गया जिस पर दिनांक 29.5.2000 को आदेश पारित करते हुये पूर्व आदेश दिनांक 19.4.99 को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्व अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 29.12.2000 को निरस्त कर दी गई इससे दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 14.12.06 को अपील स्वीकार की गई इसी आदेश से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदकगण के पिता चन्द्रिका प्रसाद थे आवेदकगण के पिता की मृत्यु होने पर वर्ष 1994 में आवेदकगण का नामांतरण अपने पिता की भूमि पर किया गया। उक्त नारमांतरण को कभी किसी व्यक्ति द्वारा चुनौती नहीं दी गयी। अनावेदकगण का विवादित कृषि खाते में कोई स्वत्व नहीं है। उनके द्वारा आगे तर्क किया गया है कि तहसीलदार को संहिता की धारा 178 के अंतर्गत संयुक्त खाते के किसी भी सहभूमिस्वामी के आवेदन पर खाते बंटवारा कराने का अधिकार नहीं है और न ही तहसीलदार को अनावेदकगण के आवेदन पर बंटवारा करने का विचाराधिकार है। अपर आयुक्त ने प्रकरण के इस विधिसम्मत बिन्दु पर विचार किये बिना विवादित आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है। तहसीलदार न्यायालय ने आवेदकगण को नियमानुसार सूचना पत्र का निर्वाह कराये बिना मात्र आवेदक को स्थल पर बुलाकर उसके हस्ताक्षर करा लिये थे। आवेदकगण कमांक 2 से 7 पर न तो सूचनाओं का निर्वाह कराया गया और न ही उनकी आपत्तियां ली गई, मात्र एक व्यक्ति की तथाकथित सहमति को समस्त सह खातेदारों की सहमति मानकर पारित किया गया बंटवारा आदेश शून्यवत है। आगे अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 16.7.96 कोअवैधानिक रूप से बंटवारा कर दिया गया था जिसे अपील कमांक 20/96–97 में आदेश दिनांक 28.2.97 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नेनिरसत कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। तहसील न्यायालय में प्रत्यावर्तन आदेश का पालन किये बिना पुनः बटवारा कर दिया । यह त्रुटि प्रकाश में आने पर अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेकर अपने आदेश को पुनराविलोकन में लेकर निरस्त कर दिया तथा

अनावेदकों को सुनवायी का अवसर देकर बंटवारा आवेदन निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त ने तहसीलदार द्वारा पूर्व में पारित अवैध आदेश को स्थिर रखने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि अपर आयुक्त ने यह भी नहीं देखा है कि तहसीलदार ने संहिता की धारा 32 का प्रयोग कर कोई आदेश नहीं दिया है। तहसीलदार ने अनुविभागीय अधिकारी से विधिवत अनुमति लेकर अपना पूर्व का आदेश निरस्त किया था। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 14.12.06 निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि ग्राम कंचनपुर तहसील मैहर की वादग्रस्त भूमियां उभयपक्ष की संयुक्त हिन्दू परिवार की पुस्तैनी भूमियां हैं जिनका आपसी बंटवारार पूर्वजों के बीच असम्र 50 साल पूर्व हो चुका था, प्रथक–प्रथक काबिज थे। जिसके अनुसार अनावेदकगण के पिता को भूमि खसरा कमांक 21, 22, 25, 26, 27, 218, 365, 597, किता 8 रकबा 6 बीघा 15 विस्वा मिली व सम्वत 2020–21 से खसरा में अंकित है तथा बाग खसरा कमांक 221, 306, में भी हिस्सा मिला भूमि न0 519 अनावेदक तथा आवेदक 5, 6, 7 के नाम 520 ओंकर प्रसाद तनय गोकर्ण प्रसाद के नाम हैं भूमि खसरा कमांक 521 आवेदक कमांक 1 से 7 के नाम तथा 306 आवेदक कमांक 1 से 4 के नाम है वाद में अनावेदक ने आपस में पांचों भाईयों के बीच बंटवारा कर लिया है व अलग अलग है। उनके द्वारा तर्क में यह भी कहा गया है कि अपर आयुक्त का आदेश उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अंत

में निवेदन किया गया है कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 14.12.06 स्थिर रखा जावे तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा वादग्रस्त भूमियों के बटवारे के संबंध में जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उस पर विधिसंगत रूप से निराकरण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27.2.97 के परिपालन में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.4.99 को किया गया। इसके पश्चात इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 23.4.99 को आवेदक क्रमांक–3 प्राणेश्वर प्रसाद के आवेदन पत्र पर धारा 32 के तहत आवेदन पत्र सुनवाई में लिये जाकर उभयपक्षों को नोटिस जारी की गयी। तत्पश्चात दिनांक 29.5.2000 को दूसरा आदेश पारित किया गया। इस आदेश को अनुविभागीय अधिकारी ने इस आधार पर यथावत रखा है कि प्रकरण में 145 के तहत कार्यवाही है तथा कब्जे की स्थिति सुनिश्चित नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 16.7.96 उभयपक्षों के राजीनामा के आधार पर था जिसे पुनः आदेश दिनांक 19.4.99 के तहत स्थिर रखा गया। दोनों पक्ष बटवारा पुल्ली व बटवारा आदेश से सहमत थे। ऐसी परिस्थिति में बाद में इस बात का नवीन अभिवचन लेकर कि कब्जे की स्थिति सुनिश्चित नहीं है जिस कारण बटवारा किया जाना उचित नहीं है, न्यायासंगत तर्क नहीं है। राजीनामा की शर्तो से दोनों पक्ष सहमत हैं। अनुविभागीय अधिकारी मैहर जिला सतना का प्रश्नाधीन आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा त्रुटिपूर्ण माना है इसलिये निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 14.12.2006 उचित है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 213/अपील/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 14.12.2006 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर